डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर 2001—भाद्र 23, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 2014/एफ-10/376/2001/वाक-पांच (52).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 4-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा :—

1. (क) नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करता है, और

   (ख) उक्त अनुसूची के कालम (3) में वर्णित ऐसे मालों को विनिर्दिष्ट करता है जिनका उपयोग स्वनिर्मित माल की पैकिंग के लिए उस स्थानीय क्षेत्र में किया जाता है, और

2. यह निर्देश देती है कि उस तारीख से जो कि उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट की गई है, वह प्रवेश कर जो कि किसी व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय हो, उक्त माल से संबंधित उसकी कराध्येय मात्रा पर, उसके (अनुसूची के) कालम (5) को तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट की गई दर से प्रभारित किया जाएगा.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	स्थानीय क्षेत्र (2)	माल (3)	तारीख (4)	कर की दर (5)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त स्थानीय क्षेत्र	एच.डी.पी.ई./पी.पी. के बुने हुए बोरे	20 सितम्बर 2001	5%

Raipur, the 14th September 2001.

NOTIFICATION

No.2014/F-10/376/2001/CT/V (52).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4-A of the "Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976" (No. 52 of 1976), the State Government hereby :—

1. Specify—

   (a) Local areas mentioned in column (2) of the schedule below, and

   (b) the goods mentioned in column (3) of the said schedule, which are used for packing of own manufactured goods in the said local areas.

2. directs that as from the date specified in column (4) of the said schedule, the Entry Tax payable by a dealer under this Act, shall be charged on his taxable quantum relating to the said goods, at the rate specified in the corresponding entry in column (5) thereof —

SCHEDULE

S. No. (1)	Local Areas (2)	Goods (3)	Date (4)	Rate of Tax (5)
1.	All local areas in the State of Chhattisgarh	HDPE/PP Woven Sacks	20the Sept. 2001	5%

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 2015/एफ-10/376/2001/वाक-पांच (53).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को उक्त अधिनियम के अधीन, कॉलम (3) में वर्णित कालावधि हेतु तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन

रहते हुए प्रवेश कर के भुगतान से पूर्ण छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

क्रम	माल के वर्ग	कालावधि	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एच.डी.पी.ई./पी.पी. के बुने हुए बोरे.	20 सितम्बर 2001 से 31 मार्च 2002 (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए).	जबकि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल का क्रय उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य व्यापारी से किसी स्थानीय क्षेत्र में स्व-निर्मित माल की पैकिंग में उपयोग किया जाये.

Raipur, the 14th September 2001

NOTIFICATION

No.2015/F-10/376/2001/CT/V (53).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempts in whole the class of goods specified in column (2) of the schedule below, from payment of entry tax under the said Act for the period specified in column (3), subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said schedule :—

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Period	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	HDPE/PP Woven Sacks	20the Sept. 2001 to 31st March 2002 (Both days inclusive).	When the goods specified in column (2) are purchased by a dealer registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) from another registered dealer under the said Adhiniyam for packing of own manufac tured goods in a local area.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.